संख्या-3/551/अड़तीस-5-14-27 (सम)/2012

पे्रषक,

दिनेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 27 मार्च, 2014

विषयः- विश्व बैंक एवं भारत सरकार के तकनीकी सहयोग से प्रदेश में संचालित की जाने वाली ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता मिशन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु गठित राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई हेतु सपोर्ट स्टाफ एवं जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई के सलाहकारों / सपोर्ट स्टाफ के पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-554/अड़तीस-5-13-27 (सम)/2012, दिनांक 01 मार्च, 2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विश्व बैंक एवं भारत सरकार के तकनीकी सहयोग से प्रदेश में संचालित की जाने वाली ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना के क्रियान्वयन हेतु गठित राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई के विशेषज्ञों के पदों का सृजन किया गया था। उक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक के प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्टेशन प्लान के अनुसार परियोजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई के सपोर्ट स्टाफ के रूप में संलग्नक-1 में उल्लिखित अर्हता / आयु सीमा/ वेतन आदि के विवरणानुसार कुल 08 पद एवं परियोजना हेतु चयनित 10 जनपदों के जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई के सलाहकारों / सपोर्ट स्टाफ हेतु संलग्नक-2 में उल्लिखित अर्हता / आयु सीमा/ वेतन आदि के विवरणानुसार कुल 90 अस्थाई पदों को इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2015 तक सृजित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई के सपोर्ट स्टाफ एवं जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई के सलाहकारों/ सपोर्ट स्टाफ सम्बन्धी सभी पदों को राज्य सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरा जायेगा अथवा इन पदों पर कर्मियों की तैनाती "सेवा प्रदाता" के माध्यम से की जायेगी। उक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति पर तैनाती प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में लागू शासनादेशों/ नियमों के अन्तर्गत सामान्य शर्तो के तहत किया जायेगा।

3- सेवा प्रदाता के माध्यम से लिये जाने वाले कार्मिकों की तैनाती एक निश्चित अवधि के लिए की जायेगी, जिसे दोनों पक्षों की सहमति से अधिकतम 05 वर्षो तक अथवा परियोजना की अवधि तक जो भी कम हो तक के लिए बढ़ायी जा सकती है।

4- राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई एवं जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई में सृजित उपर्युक्त पदों पर होने वाले कुल व्यय का 50 प्रतिशत विश्व बैंक एवं 25-25 प्रतिशत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

5- उपर्युक्त पद जिस योजना के लिए सृजित किये जा रहे हैं, उसके समाप्त होने पर स्वतः समाप्त माने जायेंगे।

6- पदों पर चयन किये जाने हेतु विस्तृत विज्ञापन, व्यापक परिचालन वाले कम से कम 01 अंग्रेजी एवं 02 हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जायेंगे।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-346/दस-2014, दिनांकः 26 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
(दिनेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 551 (1)/अड्तीस-5-2014, तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी/ जिला विकास अधिकारी, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, गोण्डा, इलाहाबाद, बस्ती, बहराइच, बलिया, गाजीपुर एवं सोनभद्र।
7. वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
8. निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ पंचायती राज अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(दिनेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।